**दां. अ. 1167/91**

XII–188/(कारावास)

**बंदी की अपील**

क्र. 1881 नाम कोरनो लियुस

पिता का नाम – सिरिल एक्का उरवी

निवास इस्थान – फरस कानिथा कुनकुरी उम्र – 20

सजा – आजीवन कारावास दिनांक – 30.09.91

धारा — 302 भा.द.सं. द्वारा– श्री एस के गुप्ता, अपर सत्र न्यायाधीश जशपुर

बंदी को यह समझाया जाता है कि यदि वह किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने की इच्छा व्यक्त करता है, तो अपीलीय अदालत मामले की कार्यवाही सात दिनों तक स्थगित कर देगी, जब तक कि विधि व्यवसायी उपस्थित न हो। यदि विधि व्यवसायी सात दिनों के भीतर उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। यदि बंदी यह कहता है कि वह विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं चाहता है, तो अदालत तुरंत मामले की सुनवाई शुरू कर सकती है और किसी भी विधि व्यवसायी को सुनने के लिए बाध्य नहीं होगी जो उपस्थित हो सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. निर्णय की प्रति के लिए आवेदन की दिनांक 30.09.91
2. प्रतिलिपी प्राप्त होने की दिनांक 30.09.91
3. अपील भेजने की दिनांक 10.10.91
4. बंदी पतिनिधित्व चाहता है या नही हा / ना

क्रमांक 1881 नाम – कोरनो लियुस

जारी उप – जेल– जशपुर नगर

क्रमांक 1312 दिनांक 10.10.91

मामले में पारित आदेश या निर्णय की प्रति संलग्न कर उचित अपीलीय न्यायालय को भेजने के लिए मुख्या न्यायिक दंडाधिकारी रायगढ़ को अग्रेषित ।

अधीक्षक सेंट्रल/जिला/सब–जेल

कार्यालय मु.न्या.दं. में प्राप्ति की दिनांक

साथ में दिए जाने वाले अभिलेख की प्राप्ति की दिनांक

अपीलीय न्यायालय का अपील ज्ञापन

क्रमांक मु.न्या.दं. रायगढ़ दिनांक 12.10.91

प्रेषित सत्र नयायाधीश रायगढ़ (म.प्र.)

मु.न्या.दं.

अपीलीय न्यायालय में प्राप्ति की दिनांक

## छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

## दांडिक अपील क्रमांक 1167/1991

कोर्नालिअस

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

AFR

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**दांडिक अपील क्रमांक 1167/1991**

**कोर्नालिअस**

**विरुद्ध**

**मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)**

---

कोरम : माननीय श्री फखरुद्दीन,

माननीय श्री डी. आर. देशमुख, न्यायाधीशगण

---

श्री संदीप श्रीवास्तव, न्यायमित्र वास्ते अभियुक्त के रूप में उपस्थित हुए

श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य

---

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निर्णय

(पारित दिनांक 21.07.2005)

द्वारा: दिलीप राव साहेब देशमुख, न्यायाधीश

1. यह जेल अपील दिनांक 30–09–1991 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जो श्री एस.के. गुप्ता, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जशपुर नगर, जिला– रायगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 77/1991 में पारित किया गया था, जिसमें अपीलार्थी को अपने पिता सिरिल एक्का की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2. स्वीकार्य रूप से मृतक सिरिल एक्का अपीलार्थी के पिता थे, तथा श्रीमती कुर्दुला अ.सा.–2 उसकी भाभी, एंटोनियस एक्का अ.सा.–1 उसका भाई और मैरी कुमारी अ.सा.–3 उसकी बहन है|

3. संक्षेप में अभियोजन का प्रकरण यह है कि 16–02–1991 को सिरिल एक्का और अपीलार्थी के मध्य उनके निवास पर एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप

आरोपी अपीलार्थी ने सिरिल एक्का के मस्तक और गाल पर टंगिया से प्रहार किया। सिरिल एक्का की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। जब मैरी कुमारी अ.सा.–3 घटनास्थल पर पहुंची, तो अपीलार्थी ने उसे बताया कि वह पिछले तीन दिनों से भूखा था और जब वह भोजन कर रहा था, तो उसके पिता ने उसे दो बार लात मारी, जिसके परिणामस्वरूप उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपने पिता पर हमला किया। आरोपी ने श्रीमती कुर्दुला अ.सा.–2 के समक्ष एक गैर –न्यायिक संस्वीकृति भी की।

4. एंटोनियस एक्का अ.सा.–1, जिन्होंने अपने पिता के शव और अपीलार्थी को घर के बाहर खड़े देखा, ने उसी दिन मध्याह्न 4:10 बजे पुलिस थाना कुनकुरी में प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसका विवरण प्रदर्श P–1 में है । विवेचना अधिकारी एम.बी. पांडे अ.सा.–7 ने उसी दिन घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के शव का पंचनामा तैयार किया, जो की प्रदर्श P–5 है । डॉ. एस.बी. जैन अ.सा.–8, जिन्होंने शव परीक्षण किया, ने पाया कि दाहिने फ्रंटल हड्डी में 5 इंच का अर्ध–वृत्ताकार फ्रैक्चर था और दाहिने मैक्सिला में एक अन्य फ्रैक्चर था, जिसमें भंग हुई अस्थि के निचे हेमाटोमा और ब्रेन मैटर में लेसरेशन था। उन्होंने राय दी कि मृतक सिरिल एक्का की मृत्यु की वजह खोपड़ी और मैक्सिला के अस्थि भंग के कारण हेमोरेजिक शॉक थी। उनकी राय में मृत्यु हत्यात्मक थी। अन्वेषण के दौरान, अपीलार्थी के कथन प्रदर्श P–6 के तहत एक टंगिया को घटनास्थल से जब्त किया गया, जिसका विवरण प्रदर्श P–7 में है, और साधारण मिट्टी और रक्त से सनी मिट्टी जब्त की गई, जिसका विवरण प्रदर्श P–8 में है । आरोपी अपीलार्थी की निशानदेही पर जब्त की गई टंगिया को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया था। डॉ. जैन अ.सा.–8 ने राय दी कि सिरिल एक्का को लगी चोटें इस हथियार से करीत हो सकती थीं। अन्वेषण पूरा होने के बाद, आरोपी पर सिरिल एक्का की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अभियोजन चलाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. आरोपी अपीलार्थी ने अपने दोष से इनकार करते हुए निर्दोषता का दावा किया और बचाव में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। अभियोजन ने अपने प्रकरण के समर्थन में 9 साक्षियों का परीक्षण कराया । विद्वान विचारण न्यायाधीश ने मैरी कुमारी अ.सा.–3 और

श्रीमती कुर्दुला अ.सा.–2 के साक्ष्य पर भरोसा किया, जो आरोपी अपीलार्थी द्वारा की गई गैर–न्यायिक संस्वीकृति से संबंधित है, और विवेचना विवेचना अधिकारी एम.बी. पांडे अ.सा.–7 के साक्ष्य पर भी भरोसा किया, जो आरोपी अपीलार्थी की निशानदेही पर टंगिया की जब्ती से संबंधित है और आरोपी अपीलार्थी को सिरिल एक्का की हत्या के लिए धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन दोषसिद्ध किया और उसे उपरोक्त उल्लेखित कंडिका 1 में दर्शित सजा सुनाई।

6. आरोपी अपीलार्थी की ओर से संदीप श्रीवास्तव अधिवक्ता न्यायमित्र के रूप में उपस्थित हुए और मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि श्रीमती कुर्दुला अ.सा.–2 और मैरी कुमारी अ.सा.–3 के साक्ष्य, जो आरोपी अपीलार्थी द्वारा की गई गैर–न्यायिक संस्वीकृति से संबंधित हैं, को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और जब ऐसा किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आरोपी अपीलार्थी ने गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्म–नियंत्रण की शक्ति से वंचित होने के कारण अपने पिता सिरिल एक्का की हत्या की, जिन्होंने उसे प्रकोपन दिया था, और इसलिए, यदि कोई अपराध है, तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग–II) से आगे नहीं बढ़ता है। दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश हुए श्री यू.एन.एस. देव ने तर्क दिया कि श्रीमती कुर्दुला अ.सा.–2 और मैरी कुमारी अ.सा.–3 के साक्ष्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद–I के तहत गंभीर और अचानक प्रकोपन का प्रकरण नहीं बनाते हैं। आरोपी द्वारा की गई गैर–न्यायिक संस्वीकृति, सिरिल एक्का को लगी चोटें, प्रयुक्त हथियार और महत्वपूर्ण अंग जहां चोट पहुंचाई गई, के साथ मिलकर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एक प्रकरण स्पष्ट रूप से निर्मित करती है।

7. हमने प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन भी किया है। आरोपी अपीलार्थी द्वारा अपने पिता पर टंगिया से किए गए हमले के संबंध में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अभियोजन पूर्णतः श्रीमती कुर्दुला अ.सा.–2 और मैरी कुमारी अ.सा.–3 के साक्ष्य पर निर्भर करता है, जिनके समक्ष आरोपी अपीलार्थी ने गैर–न्यायिक संस्वीकृति की थी। मैरी कुमारी अ.सा.–3, जो अपीलार्थी की सगी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बहन है, ने कहा है कि पूछे जाने पर, आरोपी अपीलार्थी ने उसे बताया था कि वह तीन दिनों से भूखा था और जब वह भोजन करने बैठा, तो उसके पिता ने उसे दो बार लात मारी, जिसके परिणामस्वरूप उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपने पिता के मस्तक पर प्रहार किया। प्रतिपरीक्षण में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है जो उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय बना देगा। श्रीमती कुर्दुला, जो अपीलार्थी की भाभी है, ने भी कहा है कि अपने ससुर को आंगन में लहूलुहान पड़े देखकर उसने अपीलार्थी से पूछा था, जिसने उसे बताया कि भोजन करते समय उसके पिता के साथ एक विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें उसने टंगिया से अपने पिता पर प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। प्रतिपरीक्षण में कुछ भी नहीं निकला जो उसके साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न करे।

8. हमने डॉ. एस.बी. जैन, अ.सा.–8 के साक्ष्य का भी अवलोकन किया है, जिन्होंने मृतक को लगी चोटों को प्रमाणित किया है, जो इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि मृतक सिरिल एक्का की हत्या हुई थी। हमने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया और पाया है कि विचरण न्यायालय ने अपीलार्थी की गैर–न्यायिक संस्वीकृति के आधार पर सही ढंग से यह निष्कर्ष निकाला है कि यह संदेह से परे प्रमाणित हुआ है कि आरोपी अपीलार्थी ने ही सिरिल एक्का की हत्या की थी, उन्हें मस्तक और गाल पर टंगिया से प्रहार करके।

9. एकमात्र बिंदु जो हमारे विचार के लिए शेष है, वह यह है कि आरोपी ने कौन सा अपराध किया है। हमें यह परिक्षण करना होगा कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि आरोपी अपीलार्थी ने अपने पिता के द्वारा की गयी गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्म–संयम की शक्ति से वंचित रहते हुए सिरिल एक्का की मृत्यु कारित की । यह सुस्थापित विधि है कि किसी मामले में यह एक तथ्य का प्रश्न है की क्या प्रकोपन को इतना गंभीर और अचानक माना जा सकता है कि उसे हत्या के अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सके। मैरी कुमारी अ.सा.–3 के साक्ष्य से संदेह से परे यह पता चलता है कि आरोपी तीन दिनों से भूखा था और जब वह भोजन करने बैठा, तो उसके पिता ने उसे दो बार लात

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मारी, जिससे आरोपी इतना क्रोधित हो गई कि उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपने पिता पर प्रहार किया। के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, जो ए.आई.आर– 1962–एससी–605 में रिपोर्ट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि "गंभीर और अचानक" प्रकोपन की परीक्षा यह है कि यदि एक युक्तियुक्त व्यक्ति, जो आरोपी के समान समाज के वर्ग से संबंधित है, को उसी स्थिति में रखा जाये जिसमें आरोपी को रखा गया था, तो क्या वह इतना प्रकोपित होगा कि वह अपना आत्म–संयम खो देगा |

10. अख्तर बनाम राज्य के मामले में, जो ए.आई.आर.– 1964– इलाहाबाद– 263 में रिपोर्ट किया गया है, निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:–

"यह निर्धारित करने के लिए की मानव वध का आरोपी व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन के सिद्धांत के लाभ का अधिकारी है या नहीं, देश की अदालतों को निम्नलिखित बातों पर विचार करना होगा: पहला, पीड़ित द्वारा दी गई गंभीर और अचानक प्रकोपन के रूप में जो कुछ भी प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वह क्रिया, आचरण, शब्द या इशारों के माध्यम से हो, न केवल अचानक होनी चाहिए, बल्कि आरोपी को नियंत्रित करने वाले मानकों या आदर्शों के अनुसार गंभीर भी होनी चाहिए। ये मानक या आदर्श सही और गलत के बारे में विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक विशेष सामाजिक समूह जैसे कि एक राष्ट्र, एक समुदाय या यहां तक कि एक परिवार की सदस्यता के परिणामस्वरूप हो सकते हैं – या आरोपी के विशिष्ट इतिहास और परिस्थितियों के कारण, जो एक विशेष समय पर पीड़ित के प्रति आरोपी की प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करते हैं। हर मामले में, लागू किया गया परीक्षण इस अर्थ में उद्देश्यपूर्ण है, कि यह युक्तियुक्त लोगों द्वारा स्वीकृत होने में सक्षम होना चाहिए। आरोपी की विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक या असामान्य धारणाएं या दृष्टिकोण, भले ही उसके "संवैधानिक" दोषों के कारण हों, जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता है, को अनदेखा करना होगा। दूसरा, अदालत को यह विचार करना होगा कि क्या आरोपी ने अपने समूह पर लागू

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मानकों और आदर्शों के अनुसार सामान्य या उचित रूप से काम किया, जब तक कि उसने खुद पर नियंत्रण नहीं खो दिया। यदि उसने खुद अनुचित या असामान्य रूप से काम किया, तो वह इस सिद्धांत का लाभ नहीं उठा सकता है। तीसरा, यह दिखाना होगा कि मृत्यु का कारण बनने वाला कृत्य आत्म–संयम खोने के बाद लेकिन आत्म–नियंत्रण वापस आने से पहले किया गया था। यह अक्सर गंभीर प्रकोपन के अस्तित्व और हिंसक, हानि के कारण और उकसावे के तुरंत बाद हिंसक और जल्दबाजी में किए गए कृत्य के अचानक और कठोर चरित्र से माना जा सकता है, लेकिन तथ्य और परिस्थितियां कभी–कभी अनुमान को नष्ट कर सकती हैं और दिखा सकती हैं कि आत्म–संयम वास्तव में खोया नहीं गया था, ताकि आरोपी इस सिद्धांत का लाभ नहीं उठा सके|”

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि आरोपी अपीलार्थी का परिवार जिला–रायगढ़ के "गोंड" समुदाय से संबंधित है और कृषि पर आश्रित है। यह भी प्रमाणित है कि वे ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं। तीन दिनों से भूखे व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि मृतक सिरिल एक्का का आरोपी को जब वह भोजन कर रहा था, दो बार लात मारने का कृत्य, विशेष रूप से तब, जब वह तीन दिनों से भूखा था यह इस प्रकृति का कृत्य था जो ऐसी परिस्थिति निर्मित कर देता जिससे पहले से भूखा अपीलार्थी अपने आत्म–नियंत्रण की शक्ति से वंचित हो जाता और उसके पिता के इस कृत्य ने उसे इस सीमा तक क्रोधित कर दिया की अपनी आत्म–नियंत्रण की शक्ति से वंचित होकर उसने अपने पिता पर आत्मघातक वार किया । मामले की परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि आरोपी–अपीलार्थी का कृत्य मृतक द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण था। जब कोई व्यक्ति "गंभीर और अचानक" प्रकोपन के तहत आत्म–संयम खो देता है, तो वह अपनी सारी गणना और संतुलन की शक्तियों को खो देता है और अदालत सोने के तराजू में नहीं तोलेगी कि कितने प्रहार पर्याप्त होंगे ताकि यह विश्वास हो सके कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्य "गंभीर और अचानक" प्रेरणा के तहत था और

जहां उसने एक निश्चित संख्या में प्रहारों से अधिक किया, तो कृत्य "गंभीर और अचानक" प्रेरणा की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से प्रेरित होकर अपने मानसिक संतुलन को खो देता है, तो वह प्रहारों की गणना नहीं करेगा। हस्तगत प्रकरण में मृतक सिरिल एक्का का भूखे आरोपी को भोजन करते समय दो बार लात मारने का कृत्य, एक ऐसा कृत्य माना जा सकता है जो आरोपी को गंभीर और अचानक प्रकोपन के लिए पर्याप्त हो सकता है और इसलिए प्रहारों की संख्या आरोपी के मन पर प्रभाव को विचार करने के लिए कभी भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है ताकि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद–I से बाहर किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि जब भूखे आरोपी अपीलार्थी को उसके पिता ने उसके भोजन करते समय दो बार लात मारी, तो उसने गंभीर और अचानक प्रकोपन पर अपना आत्म–संयम खो दिया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि आरोपी अपीलार्थी सिरिल एक्का द्वारा प्रेरित किए जाने पर आत्म–नियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया और उसने सिरिल एक्का की मृत्यु करीत की। इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों और समाज की प्रकृति, जिसमें आरोपी अपीलार्थी और मृतक शामिल हैं, और प्रकोपित व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हम आश्वस्त हैं कि सिरिल एक्का की मृत्यु का कारण बनने वाला आरोपी अपीलार्थी का कृत्य स्पष्ट रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद एक के भीतर आता है और हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि यह केवल आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है। हम इसमें भी आश्वस्त हैं कि आरोपी अपीलार्थी का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304–II से आगे नहीं बढ़ता है।

13. फलस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है। आरोपी अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप से मुक्त किया जाता है। आरोपी

अपीलार्थी की सजा को भारतीय दंड संहिता की धारा 304–II में परिवर्तित किया जाता है। हम उसे 10 वर्ष के कारावास के दंड से दण्डित करते हैं।

14. अंततः, हम श्री संदीप श्रीवास्तव द्वारा प्रदत्त मूल्यवान सहायता की प्रशंसा करते हैं, जो आरोपी अपीलार्थी की ओर से न्यायमित्र के रूप में उपस्थित हुए ।

**हस्त.**
**फखरुद्दीन**
21.07.2005

**हस्त.**
**दिलीप रावसाहेब देशमुख**
21.07.2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By : Rajendra Patel, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur